न्यायालय, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, सुपौल

अग्रिम जमानत आवेदन सं0–446 / 2026
(छातापुर थाना कांड सं0–257 / 2023)

	1. सुरेन्द्र सादा, पे0 लक्ष्मण सादा 2. सगमलाल परिहस्त, पे0 लक्ष्मण परिहस्त दोनो साकिन एवं थाना–छातापुर, जिला सुपौल.....अभियुक्त / आवेदकगण बनाम् बिहार राज्य.....विपक्षी	
05 / 05 / 26	प्रस्तुत अग्रिम जमानत आवेदन अभियुक्त आवेदकगण **(1) सुरेन्द्र सादा एवं (2) सगमलाल परिहस्त** की ओर से दाखिल किया गया है, जो छातापुर थाना कांड सं0–257 / 2023 अन्तर्गत धारा 420, 465, 120बी / 34 भा0द0बि0 के अधीन गिरफ्तारी के भय से आशंकित है। अग्रिम जमानत के बिन्दु पर अभियुक्त आवेदकगण के विद्वान अधिवक्ता श्री सुरेन्द्र कुमार यादव एवं अभियोजन की ओर से विद्वान लोक अभियोजक श्री जे0एन0 पांडेय को सुना। अभियुक्त आवेदकगण के विद्वान अधिवक्ता निवेदन करते हैं कि अभियुक्त आवेदकगण बिल्कुल निर्दोष है तथा इनके द्वारा सूचक के साथ कोई घटना नहीं किये है। अभियुक्त आवेदकगण के द्वारा सूचक के साथ किसी तरह का धोखाधड़ी नहीं किये है न ही किसी तरह का कूटरचना किये है। सूचक का सह अभियुक्त के साथ जमीनी विवाद रहने के कारण अभियुक्त आवेदकगण को गलत तरीके से फॅसाया गया है। उभयपक्षों के बीच मेल व सुलह हो गया है। सह अभियुक्त जय प्रकाश मेहता का जमानत हो चुका है। अभियुक्त आवे. दकगण धारा 482(2)भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता अधिनियम के सभी नियम एवं शर्तो को मानने को तैयार है। अतः अभियुक्त आवेदकगण को अग्रिम जमानत पर मुक्त करने का नि. वेदन करते है। विद्वान लोक अभियोजक अग्रिम जमानत आवेदन का विरोध करते हैं। अभियुक्त आवेदक सूचक सत्यदेव राम के आवेदन के आधार पर छातापुर थाना कांड सं0– 257 / 2023 अन्तर्गत धारा 420, 465, 120बी / 34 भा0द0बि0 के प्राथमिकी अभियुक्त हैं। सूचक ने अपने आवेदन में अभिकथन करते है कि दिनांक 04 / 04 / 2022 को फर्जी केवाला का मूल्यवान प्रतिभूति के रूप में छल से तैयार करा लिये जय प्रकाश मेहता, नीलम देवी, सुरेन्द्र सादा, जय प्रकाश मेहता अपने नाम से स्टाम्प निकासी हेतु चलान का तारीख 11 / 10 / 2022 है यह भी छल एवं कुछ रचना का अपने आप में सच्चि प्रमाण है। अचंल कार्यालय छातापुर गये तो अंचल कर्मियों से पता चला कि जय प्रकाश मेहता मौजा छातापुर खाता 335 खेसरा 1384 का दाखिल खारिज कर अपने नाम से करवाने के लिये अचंल कार्यालय में आवेदन के साथ साथ केवाला भी खारिज किया है तब वह उक्त केवाला को चैलेंज करते हुए एक आपत्ति आवेदन दाखिल कर दिये तो उक्त जमीन का जमाबंदी जय प्रकाश मेहता के नाम से नहीं हो सकी। जब वह जय प्रकाश मेहता द्वारा दाखिल काग. जात का पूर्ण विवरण लिये तो उसे मालूम हुआ कि उपरोक्त सभी व्यक्ति षडयंत्र के तहत फर्जी केवाला तैयार करवाया और अंचल दाखिल खारिज केश नं0–5648 / 22–23 अस्वीकृत	Contd

न्यायालय, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, सुपौल

अग्रिम जमानत आवेदन सं0–446 / 2026
(छातापुर थाना कांड सं0–257 / 2023)

लगातार.....
05 / 05 / 26

कर दिया गया है। वह दिनांक 08 / 04 / 2023 को जब वह उपरोक्त खाता, खेसरा में बा. उण्डरी दिये हुए है, मिट्टी भी कराई कर लिये है। सुरेन्द्र सादा कहते है अब जमीन पर आएगा तो तुमलोगों को अपनी जान से हाथ धोना पड़ेगा। उपरोक्त सभी व्यक्ति साजिश के तहत मूल्यवान भूमि का कूट रचित छल के साथ किया है तथा उक्त मूल्यवान प्रतिभूति फर्जी केवाला का इस्तेमाल सही व दुरूस्त केवाला के रूप में करते है। उसे उपरोक्त खाता खेसरा, केवाला द्वारा प्राप्त है। जिसका जमाबंदी नं0–43 है।

उभयपक्षों को सुना। अभिलेख का अवलोकन किया। अभिलेख अवलोकन से स्पष्ट है कि अभियुक्त आवेदकगण प्राथमिकी के नामजद अभियुक्त है तथा इनके विरूद्व सूचक को धमकी देने का आरोप है। वाद दैनिकी के कंडिक–6, 7, 8 में साक्षियों का बयान है तथा कंडिका 18 में अनु0पु0पदा0, त्रिवेणीगंज का पर्यवेक्षण टिप्पणी है, जिसमें यह उल्लेखित किया गया है कि अभियुक्त आवेदकगण फर्जी केवाला में सिर्फ गवाह थे। चूँकि प्रस्तुत कांड के मुख्य अभियुक्त जय प्रकाश मेहता जिनके विरूद्व फर्जी केवाला कराने का अरोप है, उन्हें जमानत मिल चुका है तथा अभियुक्त आवेदकगण के विरूद्व फर्जी केवाला में सिर्फ गवाह बनने का आरोप है।

उपरोक्त तथ्यों, परिस्थितियों के आधार पर अभियुक्त आवेदकगण **(1) सुरेन्द्र सादा एवं (2) सगमलाल परिहस्त** को अग्रिम जमानत देना न्यायोचित प्रतीत होता है। अभियुक्त आवेदकगण की ओर से दाखिल अग्रिम जमानत आवेदन **स्वीकृत** किया जाता है तथा इस आदेश की प्राप्ति / प्रस्तुति के 15 दिनों के अन्दर विद्वान निम्न न्यायालय के समक्ष आत्मसमर्पण करने पर या पुलिस द्वारा गिरफ्तार किये जाने के पश्चात् अभियुक्त आवेदकगण की ओर से मो0 15,000 / –रूपये एवं समान राशि के दो प्रतिभुओं के साथ बंध पत्र दाखिल करने पर धारा 482 (2) भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के प्रावधानों के अधीन विद्वान निम्न न्यायालय के संतुष्टि पर अग्रिम जमानत पर इस शर्त के साथ छोड़ने का आदेश जाता है, कि एक जमानतदार नजदीकी रिस्तेदार या परिवार के सदस्य होगें।

लेखापित
–हस्ता0–
(अनंत सिंह)
प्रधान, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, सुपौल